जमींदारी उन्मूलन अधिनियम

4929. **श्री मोलह प्रसाद** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री 2 मई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9299 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जमींदारी उन्मूलन अधिनियम में जिन लोगों को प्राथमिकता दी गई है उनकी विभिन्न श्रेणियां क्या है ;

(ख) उन भूमि प्रबन्ध समिति और प्रधानों के जिलेवार नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध उपरोक्त अधिनियम के उल्लंघन करने की शिकायतें मिली हैं; कितनों के विरुद्ध पृथक-पृथक रूप से शिकायतें मिली हैं और कितने मामले न्यायालय को भेजे गये हैं ; और

(ग) कब तक इन पट्टों की जांच कराये जाने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 के अनुभाग 198 के अधीन और उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार नियम 1962 के नियम 174–ए के अधीन खाली भूमि के नियतन के लिए प्राथमिकता का क्रम बता दिया गया है । वे संक्षिप्त में इस प्रकार हैं :—

(1) एक मान्य प्रशिक्षण संस्थान के लिये जो कृषि उद्यान या पशुपालन सम्बन्धी किसी एक प्रशिक्षण प्रदान करें ।

(2) उस क्षेत्र में रहने वाले भूमिरहित कृषीय श्रमिक या आसामी जिन के पास भूमि भूमिदार या सरदार के रूप में कोई भूमी नहीं है उन्हें निम्नलिखित प्रकार से प्राथमिकता दी जायेगी ।

(i) उस क्षेत्र में रहने वाले पट्टेदार जिन की भूमि लोक कार्यों के लिए अधिग्रहण कर ली गई हैं ।

(ii) एक राजनीति पीड़ित ।

(iii) अन्य कोई भूमिरहित कृषीय श्रमिक या आसामी ।

(3) उस क्षेत्र में रहने वाले भूमिदार या सरकार जिन के पास $6\frac{1}{4}$ एकड़ से कम भूमि है ।

(4) एक सहकारी खेती ।

(5) कोई अन्य व्यक्ति ।

(ख) राज्य के प्रत्येक गांव में एक भूमि प्रबन्ध समिति है और समितियों तथा उन के प्रधानों के बारे में सूचना एकत्र करने के लिये जिनके विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई, और साथ ही प्रत्येक के विरुद्ध कितनी शिकायतें हुई, काफी श्रम समय तथा व्यय होगा, जो उसके परिणाम को देखते हुए न्यायसंगत नहीं होगा । फिर भी यह बताया जा सकता है कि 1–7–64 और 31–3–68 के बीच के काल में समितियों द्वारा दी लीज के विरुद्ध न्यायालयों में 72,000 मुकदमे दायर किये गये इन में से न्यायालयों ने 18,235 लीजें समाप्त कर दीं ।

(ग) लीजों की जांच चल रही है और उन में कानूनी कार्यवाही करनी पड़ती है । इस कार्य की पूर्ती के लिये कितना समय लगेगा इस के बारे में निश्चित रूप से कहना संभव नहीं है ।

CODIFICATION OF PRIVILEGES OF M.Ps.

4930. SHRI DHIRESWAR KALITA: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the question of codifying the privileges of Members of Parliament has been considered by Government; and

(b) if so, the decision taken in this respect?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND COMMUNICATIONS (DR. RAM SUBHAG SINGH): (a) and (b). The matter is under consideration.